

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मोहनसिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 216/18 (वि.प्रा.पत्र)

1. श्री रोडा पिता परथा डांगी निवासी ओडवाडिया तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम्

1. श्री कैलाशचन्द्र पिता नाथु तेली निवासी ओडवाडिया तह. मावली।
2. श्री रामलाल पिता नाथु तेली निवासी ओडवाडिया तह. मावली।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित—1. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री चन्द्रपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1, 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय :—

दिनांक 05.08.2019

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम ओडवाडिया में वादी के खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी नम्बर 1285 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजी की भूमि को प्रार्थी ने हिरा पिता कसना जी तेली से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजी सं. 1285 पर आने जाने के लिए आराजी सं. 1285 के दक्षिण दिशा में पगडन्डी का रास्ता है जो करीब 3 फीट चौड़ा जो काफी सकडा होकर मुख्य रास्ते से काफी लम्बा है जिसे हमेशा से प्रार्थी उक्त आराजी में लगातार आने जाने में बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने में कठिनाई होती है जिस वजह से प्रार्थी ने जब उक्त आराजी की भूमि खरीदी तो विक्रेता ने विक्रय पत्र में प्रार्थी द्वारा खरीदशुदा आराजी सं. 1285 पर बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी सं. 1290 के उत्तरी हिस्से पर होकर आने जाने का रास्ता भी विक्रेता ने कथित विक्रय पत्र में प्रार्थी को दे रखा है इस तरह प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि दिनांक 15.06.1983 को खरीदी है तब से ही प्रार्थी अपने उक्त खरीदशुदा आराजी की भूमि में आने जाने हेतु बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु आराजी सं. 1290

के उत्तर भाग में होकर हमेशा से लाता ले जाता रहा है जो करीब 12 फीट चौड़ा रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करता आ रहा है तथा विपक्षी के पूर्वाधिकारी हिरा पिता किशना तेली द्वारा आराजी नम्बर 1285, 1282 कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि प्रार्थी को दिनांक 15.06.1983 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बिकाव कर कब्जा सौंप दिया था। इस तरह प्रार्थी की उक्त आराजी सं. 1285 में आने जाने हेतु बैलगाडी, ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने हेतु विपक्षीगण के खातेदारी के आराजी सं. 1290 के उत्तरी हिस्से पर होकर लाते ले जाते है जो मुख्य रास्ते से काफी नजदीक होकर कम दूरी का है जबकि विपक्षीगण प्रार्थी को उक्त आराजी सं. 1290 के उत्तरी हिस्से में होकर ट्रैक्टर, बैलगाडी आदि लाने ले जाने में विपक्षीगण बाधा उत्पन्न कर रहे हैं जबकि प्रार्थी के उक्त वर्णित आराजी सं. 1285 में अन्य कोई रास्ता नजदीक दूरी का व कम खर्च का उपलब्ध नहीं है जबकि रास्ते में विपक्षीगण ने कांटे आदि डाल दिये है जबकि प्रार्थी भूमि खरीद की तारीख से उक्त आराजी के उत्तरी भाग में करीब 12 फीट चौड़े भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करता आ रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विपक्षीगण के खातेदारी के आराजी सं. 1290 के उत्तरी भाग में करीब 12 फीट चौड़ा तथा मुख्य रास्ते तक जो मुख्य रास्ते तक मिलता है जो प्रार्थी बैलगाडी, ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने हेतु प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी हैं। जिसके लिए प्रार्थी नियमानुसार डी एल सी से शुल्क जमा कराने के लिए तैयार व तत्पर हैं।

2. वाद कारण प्रथम बार दिनांक 27.06.2016 को उत्पन्न हुआ उसके बाद वाद कारण विरुद्ध विपक्षीगण लगातार जारी है तथा अंतिम बार दिनांक 25.05.2018 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थी मौके पर अपना ट्रैक्टर, बैलगाडी आदि आराजी सं. 1290 में से होकर लाने ले जाने लगा तो विपक्षीगण ने बाधा उत्पन्न की उसके बाद वाद कारण विरुद्ध विपक्षीगण जारी हैं।
3. अतः श्रीमान् न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थी के ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की भूमि में प्रार्थी को आने जाने हेतु बैलगाडी, ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने हेतु विपक्षीगण के खातेदारी की आराजी सं. 1290 के उत्तरी हिस्से में करीब 12 फीट चौड़ा मुख्य रास्ते तक मिलता हो प्रार्थी को दिलाये जाने का आदेश प्रदान करवाया जावें। अन्य अनुतोष न्यायालय जो भी उचित समझे वह प्रार्थी को दिलाये जावें।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी क्लीन हेन्ड से नहीं आया है प्रार्थी की आराजी रास्ते पर ही हैं। कुंए के पास स्थित किस्म रास्ता में रास्ता है इसलिए धारा 251 क का लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं हैं। उक्त रास्ते सम्बन्धित सीविल न्यायालय मावली में भी एक वाद प्रस्तुत किया था जिसका भी कथन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।
5. हमने प्रकरण में तहसीलदार मावली से बिन्दुवार रिपोर्ट प्राप्त की।
6. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कायम करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी के आने जाने के लिये पूर्व में आने जाने हेतु रास्ता है अतः नया रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जाने का निवेदन किया।
7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :-

1. क्या प्रार्थी खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता हैं ?

प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौजा ओडवाडिया, पटवार हल्का गुडली में स्थित प्रार्थी की भूमि आराजी नम्बर 1285 में जाने हेतु रास्ता चाहता है। ओडवाडिया मेन रोड खेमली की उत्तरी दिशा में पगडण्डी के रूप में मौके पर पहुंच मार्ग है किन्तु यह पगडण्डी इतनी संकडी है कि इसमें ट्रेक्टर, बैलगाडी का कोई भी संसाधन नहीं आ जा सकता है। रेकार्ड अनुसार एक गड्ढे का रास्ता ही मौके पर हैं।

2. क्या प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला हैं।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी के पूर्व दिशा में आराजी नम्बर 1290 स्थित है जिसके उत्तरी सीमा से

13 फीट चौड़ा रास्ता प्रस्तावित किया है जो प्रार्थी के खेत तक जाने के लिए निकटतम दूरी का है। जिसका माप लम्बाई 264 व चौड़ाई 13 कुल 3432 वर्गफीट अर्थात् 4 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई है जो न्यूनतम दूरी की है।

3. यदि प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता है तो वह प्रस्तावित करें।

तहसीलदार मावली द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्तों के अलावा इससे न्यूनतम दूरी का कोई रास्ता नहीं होना बताया है।

4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्यांकन प्रस्तुत करें।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी विपक्षी के आराजी नम्बर 1290 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा में से 4 बिस्वा भूमि रास्ते में आ रही है जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 1,98,045/- अक्षरे एक लाख अठानवे हजार पैतालीस रूपयें प्रतिबीघा हैं। जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 4 बिस्वा की कुल कीमत 39,608 अक्षरे उनचालीस हजार छः सौ आठ रूपयें होना बताया है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 1285 में जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1290 में से होकर रास्ता चाह रहे हैं। प्रार्थी को अपने खेत पर जाने के लिये आराजी संख्या 1290 में से होकर आना जाना पडता है उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः नियमानुसार शुल्क पर प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायहीन में उचित है। प्रार्थी से कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर की दुगुनी प्रतिकर लिया जाकर रास्ता दिया जाने का प्रावधान होने से प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता दिया जाना न्यायहित में उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा ओडवाडिया, पटवार हल्का गुडली की आराजी नम्बर 1285 भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की

आराजी नम्बर 1290 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा में से 4 बिस्वा भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक का रास्ता कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तों में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. दर 1,98,045/- रूपयें प्रतिबीघा के हिसाब से प्रस्तावित रकबा विपक्षीगण की आराजी संख्या 1290 में से 4 बिस्वा की कुल कीमत 39,608/- का दुगुना 79,216/- अक्षरें उन्नासी हजार दौ सौ सोलह रूपयें प्रार्थी से प्रतिकर के रूप में वसूल कर विपक्षीगण को दिये जावें। इसके पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तों पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली